में जारी हुए

3

5/5/2025	पत्रावली पेशी में ली गई। वादी धीर सिंह ने वाद पत्र पेश कर याचित किया कि जमाबंदी संवत 2074-77 चक 1 HMH खाता सं. 1/1 में वादी सं. 1 का नाम धोरसिंह वल्द ओंकार सिंह व वादी सं. 2 का नाम विक्रमसिंह पुत्र ओंकार सिंह दर्ज रिकॉर्ड है। वादी सं. 1 का सही नाम धीर सिंह उर्फ राजवीर सिंह व वादी सं. 2 का सही नाम विक्रमादित्य उर्फ विक्रम सिंह है अतः इसी अनुसार नाम में दुरुस्ती की जावे। साक्ष्य के तौर पर दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड आदि पेश किये।
	वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसील से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसील पत्रांक LR/4214 दिनांक 12.12.2023 द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। पत्रावली का अवलोकन किया व प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। वाद पत्र स्वीकार कर तहसीलदार हनुमानगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि चक 1HMH खाता सं. 1/1 में दर्ज खातेदार धोरसिंह की जगह धीर सिंह उर्फ राजवीर सिंह व खातेदार विक्रम सिंह की जगह विक्रमादित्य उर्फ विक्रम सिंह दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जावे। इसी अनुसार अंकन किया जावे। आदेश सुनाया जाकर पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.05.26 16:10:28 IST
Reason: SelfAttested